an>

Title: Need to set up special courts for speedy disposal of cases.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : भारत विश्व में दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। स्वाभाविक है कि देश के न्यायालयों में करोड़ों की संख्या में मामले होंगे और रोज लाखों मामले आएंगे भी। वर्तमान में कुल लंबित प्रकरणों की संख्या 3 करोड़ 30 लाख है जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों में 2 करोड़ 80 लाख तथा उच्च न्यायालयों में 44 लाख प्रकरण विचाराधीन हैं। गंभीर प्रश्न यह है कि इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए हम क्या कर रहे हैं।

वर्तमान में जहाँ न्यायालयों में न केवल वादों की संख्या बढ़ रही है बल्कि नए-नए प्रकार के वाद भी सामने आ रहे हैं। देश में आर्थिक अपराधों के साथ-साथ साइबर क्राइम, महिला अपराधों तथा विशेÂा प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विÂाय विशेÂाज्ञता के अभाव में न केवल केस लंबे समय तक चलता है अपितु गुणवत्तापूर्वक फैसला भी नहीं आ पाता। हमारी न्याय व्यवस्था में प्रोफैशनेलिज्म की भारी कमी है। आज चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि सभी क्षेत्रों में विÂाय विशेÂाज्ञ मौजूद हैं। हमें जब आँख का इलाज कराना होता है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हृदय संबंधी रोज होने पर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है लेकिन हमारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि मेडिकल से संबंधित प्रकरण कोर्ट में जाता है तो जज व वकील दोनों को ही बहुत अध्ययन करना पड़ता है जिसमें समय व गुणवत्ता दोनों पर ही असर पड़ सकता है।

अब समय आ गया है कि विशेÂा केसों की सुनवाई के लिए विशेÂा न्यायालयों की स्थापना की जाए। उन विÂाय विशेÂा कोर्ट में सरकारी पक्ष रखने के लिए उन विÂायों से संबंधित विशेÂाज्ञ, अधिवक्ता तथा विशेÂा कर्मचारी होने से इन केसों के निपटान में गुणवत्ता के साथ-साथ तेजी भी आएगी। इसी तर्ज पर सरकार कमर्शियल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान करने जा रही है। जजों की नियुक्ति भी विशेÂा विशेÂाज्ञता को ध्यान मेंरखकर करने की आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अन्य विशेÂा प्रकार के अपराधों व प्रकरणों की सुनवाई के लिए विÂाय विशेÂाज्ञ, कोर्ट विशेÂाज्ञ, सरकारी वकील व विशेÂाज्ञ कोर्ट स्टाफ की भी भर्ती की जाए तथा उन्हें समय-समय पर उचित ट्रेनिंग दी जाए। इससे न केवल प्रकरणों का जल्दी फैसला होगा बल्कि गुणवत्तापूर्वक न्याय मिलना भी आसान हो जाएगा। इसकी शुरूआत देश के सभी न्यायालयों में सिविल, क्रिमिनल व कामर्शियल कोर्ट की स्थापना के माध्यम से की जा सकती है।